संख्या- 11/2022/3642 /77-6-2021-6002(099)/9/2021

प्रेषक,

रजनी कान्त पाण्डेय,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

संयुक्त आयुक्त,
उद्योग,
लखनऊ मण्डल, लखनऊ।

औद्योगिक विकास अनुभाग-6 **लखनऊ : दिनांक 03 मार्च, 2022**

विषय:-औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन योजना-2012 के क्रियान्वयन हेतु रू.13,37,81,000.00 की वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक पिकप के पत्रांक-आई.आई.पी.एस./10/07.08/vol.IV/1360 दिनांक 27-12-2021 द्वारा औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन योजना-2012 के अन्तर्गत पात्र 04 इकाईयों को निगम द्वारा स्वीकृत ब्याज मुक्त ऋण वितरित किये जाने हेतु औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन योजना-2012 के क्रियान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि रू.70.33 करोड़ (रूपया सत्तर करोड़ तैतीस लाख मात्र) के सापेक्ष धनराशि रू.13,37,81,208.00 की वित्तीय स्वीकृति निर्गत करने किये जाने का अनुरोध किया गया है, पात्र इकाईयों का विवरण निम्नवत् हैं:-

क्रमांक	**इकाई का नाम**	**स्वीकृत धनराशि (रूपये में)**	**वितरण् हेतु आहरित की जाने वाली धनराशि (स्वीकृत धनराशि का 90 प्रतिशत)**
1	मे0 मून बेवरेजेज़ लि0 ग्रेटर नोएडा (वित्तीय वर्ष 2017-18)	4,96,75,183.00	4,47,07,665.00
2	मे0गनपति एडवाईजरी लि0, रायबरेली (वित्तीय वर्ष 2017-18)	3,69,73,863.00	3,32,76,477.00
3	मे0 अमृत बॉटलर्स प्रा0लि0 (माजा यूनिट) फैजाबाद (वित्तीय वर्ष 2018-19)	3,60,45,815.00	3,24,41,234.00
4	मे0अमृत बॉटलर्स प्रा0लि0 मिनरल वॉटर यूनिट, फैजाबाद	2,59,50,924.00	2,33,55,832.00

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

	(वित्तीय वर्ष 2018-19)		
	योग-	14,86,45,785.00	13,37,81,208.00 (रूपया तेरह करोड़ सैंतीस लाख इक्यासी हजार दो सौ आठ मात्र)

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन योजना-2012 के क्रियान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-7 के लेखा शीर्षक-6885-उद्योग तथा खनिज के लिए अन्य कर्ज-01-औद्योगिक वित्तीय संस्थाओं को कर्ज-190-सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य उपक्रमों को कर्ज-07-औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन योजना-2012-30-निवेश/ऋण, में प्राविधानित धनराशि रू.70.33करोड़ (रूपया सत्तर करोड़ तैतीस लाख मात्र) में अवशेष धनराशि में से उपर्युक्त 04 इकाईयों को ब्याज मुक्त ऋण वितरण करने हेतु रू.13,37,81,000.00(रूपया तेरह करोड़ सैंतीस लाख इक्यासी हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन निर्गत किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

1. धनराशि का भुगतान जिस इकाई को किया जाना है उसके खाते में सीधे आहरित कर जमा की जाएगी।
2. किसी भी परिस्थिति में धनराशि को पूर्व से आहरित करके एकमुश्त बैंक खाते/अन्य किसी खाते में नहीं रखा जाएगा।
3. स्वीकृत धनराशि का व्यय केवल उसी मद में किया जाएगा जिसके लिए स्वीकृत किया गया है।
4. स्वीकृत धनराशि का लेखा-जोखा पिकप द्वारा रखा जाएगा।
5. इसका उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रबंध निदेशक, पिकप द्वारा हस्ताक्षरित कर आयुक्त एवं निदेशक,उद्योग के माध्यम से तत्काल शासन के औद्योगिक विकास अनुभाग-6/ वित्त(आय-व्ययक)अनुभाग-4 को उपलब्ध कराया जाएगा।
6. स्वीकृति धनराशि उन पात्र इकाईयों को उपलब्ध करायी जाएगी जो औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नियमावली-2012(यथासंशोधित) में उल्लिखित शर्तो का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित करती हो।
7. यह धनराशि ऐसी पात्र नई इकाईयों, जिनके प्रत्यावेदन पिकप में प्राप्त हो या आगे प्राप्त होंगे को उनके प्राप्त प्रत्यावेदनों के यथाक्रम में वरीयतानुसार समस्त आवश्यक औपचारिकताएं एवं अनुबन्ध पूर्ण कराते हुए उपलब्ध करायी जाएगी।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

8. पात्र इकाईयों को वितरित ऋण की वसूली का पूर्ण उत्तरदायित्व पिकप पर होगा। पिकप द्वारा इकाईयों को स्वीकृत किये गये ऋण की वापसी हेतु औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नियमावली 2012 में दिए गए प्राविधानों के अनुसार प्रभावी व्यवस्था की जाएगी तथा धनराशि की सुरक्षा हेतु समस्त औपचारिकताएं पूर्ण की जाएगी।
9. पिकप पर यह सुनिश्चित करने का दायित्व होगा कि पात्र इकाईयों को अनुमन्य ब्याज मुक्त ऋण की धनराशि राज्य सरकार की नीति के प्रावधानों के अनुसार है। स्वीकृत की जा रही धनराशि की शुद्धता पिकप द्वारा सुनिश्चित की जाएगी।
10. पिकप द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि संबंधित इकाई द्वारा ऋण की अदायगी किये जाने के 02-03 कार्य दिवसों के अन्दर धनराशि राजकोष में जमा करा दी जाए।
11. ऋण वापसी में विलम्ब करने वाली इकाई से वसूला जाने वाली ब्याज(1.25प्रतिशत प्रतिमाह साधारण ब्याज) राजकोष में जमा कराया जाएगा।
12. स्वीकृत धनराशि का आहरण राजकोष से तात्कालिक आवश्यकता के आधार पर ही किया जाएगा।
13. स्वीकृत धनराशि का आहरण एक माह की आवश्यकतानुसार किया जाएगा। आवश्यकता का आंकलन संयुक्त आयुक्त,उद्योग, लखनऊ मण्डल लखनऊ द्वारा किया जाएगा। पिकप को उपलब्ध कराए गए ऋण के सापेक्ष पिकप द्वारा ऋण वितरण का अनुश्रवण भी संयुक्त आयुक्त, उद्योग लखनऊ मण्डल, लखनऊ द्वारा किया जाएगा तथा धनराशि के सदुपयोग के संबंध में संतुष्ट होने के उपरांत ही अगली किश्त का आहरण किया जाएगा।
14. पिकप द्वारा वितरित ऋणों की वसूली नियमित रूप से सुनिश्चित की जाएगी। वसूली में शिथिलता बरते जाने पर उत्तरदायित्व निर्धारित कर अग्रेतर कार्यवाही प्रशासकीय विभाग द्वारा की जाएगी।
15. स्वीकृत धनराशि को व्यय किये जाने से पूर्व वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 22 मार्च, 2021 एवं अन्य संगत शासनादेशों द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।
16. पिकप औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नियमावली-2012 के प्राविधानों के अनुसार इकाई की पात्रता का परीक्षण कर संतुष्ट हो लेंगे। इस बिन्दु पर भी संतुष्ट हो लेंगे कि औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नियमावली-2012 के अन्तर्गत उक्त इकाईयों को स्वीकृत किये गये ऋण की वापसी हेतु प्रभावी व्यवस्था तथा धनराशि की सुरक्षा हेतु समस्त औपचारिकताएं पूर्ण कर ली गयी हैं एवं इस आशय की आख्या पिकप द्वारा संयुक्त आयुक्त, उद्योग, लखनऊ मण्डल,

http://shasanadesh.up.gov.in

लखनऊ को उपलब्ध कराने के पश्चात ही उनके द्वारा धनराशि आहरित की जाएगी।

17. पिकप धनराशि अवमुक्त करने के पूर्व इकाई की पात्रता एवं आकड़ों की शुद्धता का परीक्षण कर संतुष्ट हो लेंगे।
18. इस संबंध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक में उद्योग विभाग की अनुदान संख्या-7 के लेखा शीर्षक-6885-उद्योग तथा खनिज के लिए अन्य कर्ज-01-औद्योगिक वित्तीय संस्थाओं को कर्ज-190-सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को कर्ज-07-औद्योगिकक निवेश प्रोत्साहन योजना-2012-30-निवेश/ऋण के नाम डाला जाएगा।

3. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-6-3446-दस-2021-22, दिनांक 28.02.2022 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय,
रजनी कान्त पाण्डेय
अनु सचिव।

<u>संख्या-11/2022/3642(1)/77-6-2021-6002(099)/9/2021,तद्दिनांक</u>

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ.प्र., प्रयागराज ।
2. महालेखाकार,(लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ.प्र., प्रयागराज।
3. मुख्य कोषाधिकारी, लखनऊ।
4. अपर मुख्य सचिव, सूक्ष्म,लघु,मध्यम उद्यम एवं निर्यात प्रोत्साहन विभाग, उ0प्र0 शासन।
5. नोडल अधिकारी, बजट एलाटमेंट, औद्योगिक विकास विभाग,उ0प्र0शासन।
6. प्रबंध निदेशक, पिकप को पत्र संख्या-आई.आई.पी.एस./10/07.08/vol.IV/1360 दिनांक 27-12-2021 के क्रम में अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु।
7. आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग, उद्योग निदेशालय, कानपुर।
8. निदेशक, वित्तीय सांख्यकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
9. वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1/4
10. वित्त(व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6
11. नियोजन अनुभाग-1/4
12. औद्योगिक विकास अनुभाग-2
13. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
रजनी कान्त पाण्डेय
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in